

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 233

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02099

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "राधा फ्लोरेंस एम्पायर", प्रमोटर-एस.आर.एस. फॉर्च्युन एस्टेट एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा-महेश शर्मा, पता-डी-16ए, न्यू बाम्बे मार्केट, रायपुर प्रोजेक्ट-" राधा फ्लोरेंस एम्पायर " ग्राम-धनेली, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/02/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- अनावेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 10,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय मद में दिनांक 29.01.2024 को जमा कर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के विस्तारण हेतु शेष राशि रूपये 65,600/- का भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>